न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 168/2022 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
पताराम पुत्र दमाराम जाति कुम्हार, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. गोकलसिंह पुत्र पहाड़सिंह 2. ढेलकंवर पत्नी रायसिंह 3. नरपतसिंह पुत्र रायसिंह 4. सवाईसिंह पुत्र रायसिंह जाति राजपुत, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. खनिज अभियंता (खनिज भवन) कार्यालय खनिज अभियंता, सिणधरी चौराहा तहसील व जिला बाड़मेर 6. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 7. नखतदान पुत्र शंकरदान जाति चारण, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थी — श्री बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 7 — श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 24.07.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 79 रकबा 15.3861 हैक्टेयर आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 188/130, 132/76 रकबा क्रमशः 7.2843, 12.1406 हैक्टेयर में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्या[illegible] जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली [illegible]हे है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तल[illegible] रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है तथा रास्ते हेतु [illegible] संख्या 5 व 6 के आधिपत्य के सरकारी खसरा नम्बर 132/76 रकबा 12.1406 हैक्टेयर में से रकबा 0.4091 हैक्टेयर तथा [illegible] संख्या 7 के खातेदारी खसरा नम्बर 78 रकबा 16.2117 है[illegible] में से रकबा 0.0073 हैक्[illegible] उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव